उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-14/2022/951/तीस-4-2022-30-4099(099)/151/2021
लखनऊ : दिनांक : 27 जून, 2022

अधिसूचना
आदेश

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल दिनांक 01.04.2020 को अथवा उसके पूर्व रजिस्ट्रीकृत परिवहन यानों पर संदेय विलम्ब कर संदाय हेतु शास्ति के संदाय में इस आदेश के गजट में अधिसूचित किये जाने के दिनांक से 03 माह तक के लिए निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तो के अधीन छूट प्रदान करती हैं :-

(एक) परिवहन यानों के ऐसे समस्त स्वामी अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी, जिनके प्रकरण विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लम्बित हों।

(दो) परिवहन यानों के ऐसे समस्त स्वामी अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी, जिनके कर/शास्ति के विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) अथवा उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष लम्बित हों।

(तीन) उन्हें आवेदन दाखिल करने के 15 दिनों के भीतर वाद प्रत्याहृत करने के लिए, यथास्थिति सम्बन्धित न्यायालयों/उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)/उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर), के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(चार) ऐसे परिवहन यानों, जिन्हें मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 51 के अधीन कब्जा में ले लिया गया हो, के स्वामी या वित्त पोषक।

(पांच) परिवहन यानों के समस्त स्वामी अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी, जिनके विरूद्ध इस अधिसूचना के दिनांक तक कर एवं शास्ति हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, भी इस अधिसूचना के अधीन पात्र होंगे।

(छः) यान स्वामी अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी को विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/कराधान अधिकारी को आवेदन शुल्क के रूप में 1,000 रूपये की धनराशि सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(सात) आवेदन इस अधिसूचना के दिनांक से 01 माह के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा। परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश इस अवधि को एक माह तक बढ़ा सकता है।

(आठ) कोई आवेदन क्रमांक (सात) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात ग्रहण नहीं किया जायेगा।

.....2....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(नौ) अधिसूचना परिवहन विभाग की वेबसाइट **http://uptransport.upsdc.gov.in/en-us/** पर तथा साथ ही साथ प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी। इस छूट के सम्बन्ध में कोई पृथक सूचना स्वामियों को व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जायेगी।

(दस) इस अधिसूचना के पूर्व किसी परिवहन यान के विरूद्ध जमा कर एवं शास्ति प्रतिदेय नहीं होगी।

(ग्यारह) स्वामी, यान पर संदेय सम्पूर्ण कर धनराशि को "एकमुश्त" अथवा "किस्तों" में जमा कर सकता है।

(बारह) यदि स्वामी सम्पूर्ण बकाया धनराशि एकमुश्त जमा करना चाहता हो तो यान स्वामी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी।

(तेरह) यदि स्वामी बकाया कर किस्तों में जमा करना चाहता हो तो वह 03 किस्तों में जमा कर सकता है। प्रथम किस्त सम्पूर्ण बकाया कर का 50 प्रतिशत होगा तथा अवशेष कर दो समान किस्तों में जमा किया जायेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के दिनांक से प्रथम किस्त 21 दिन के भीतर, द्वितीय किस्त 28 दिन के भीतर तथा तृतीय किस्त 35 दिन के भीतर जमा की जायेगी।

(चौदह) यदि बकाया कर धनराशि क्रमांक (बारह) एवं क्रमांक (तेरह) में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो स्वामी 50 रूपये प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क का संदाय करने का दायी होगा।

(पन्द्रह) यदि यान स्वामी द्वारा क्रमांक (बारह) एवं क्रमांक (तेरह) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस छूट के पूरा होने के दिनांक तक सम्पूर्ण बकाया धनराशि जमा नहीं करता है तो बकाया कर और शास्ति की देनदारी उस धनराशि के अनुरूप कर दी जायेगी जैसा कि यह छूट अधिसूचित किये जाने से पूर्व थी। इस छूट के अधीन जमा आंशिक कर धनराशि का समायोजन इस छूट के पूरा होने के दिनांक तक कुल बकाया देयों और शास्ति में किया जायेगा।

(सोलह) कोई यान, जो अस्तित्व में न हो, का कर यान के अस्तित्व में होने तक जमा किया जायेगा और यदि यह साबित हो जाता है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22 क में विहित प्रक्रिया के अनुसार यान अस्तित्व में न हो तो कर अपलेखन एवं यान रजिस्ट्रीकरण का निरस्तीकरण नियमानुसार किया जायेगा।

....3.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(सत्रह) आवेदक/लाभार्थी को जिला के संबंधित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/कराधान अधिकारी को परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन इस अधिसूचना के क्रमांक (सात) में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर स्वीकार किया जायेगा।

(अठारह) सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/कराधान अधिकारी को कार्यालय अभिलेख के आधार पर आवेदन का परीक्षण करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट अनुमोदन हेतु अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

(उन्नीस) संभाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी इस अधिसूचना के अधीन शास्ति में छूट प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

(बीस) आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से 10 दिन के भीतर आवेदन का निस्तारण किया जाना अनिवार्य होगा।

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHAHAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 14/2022/951/XXX-4-2022-30-4099(099)/151/2021 dated 27 June, 2022.

NOTIFICATION
ORDER

No. 14/2022/951/XXX-4-2022-30-4099(099)/151/2021
Lucknow : Dated : 27 June, 2022

In exercise of the powers conferred under section 3 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997) the Governor is pleased to exempt from the payment of penalty ***for late payment of tax*** payable on transport vehicles registered on or before 01-04-2020 till 03 months from the date of this notified order in the Gazette under following terms and conditions :-

(i) All owners of transport vehicles or their legal heirs whose case is pending before various Courts.

(ii) All owners of transport vehicles or their legal heirs whose appeal/revision against tax/penalty is pending before Deputy Transport Commissioner (Zone) or Deputy Transport Commissioner (Passenger Tax).

(iii) They shall submit an application before the concerned Courts/Deputy Transport Commissioner (Zone) /Deputy Transport Commissioner (Passenger Tax) as the case may be, for withdrawal of the case within 15 days of filing the application.

(iv) The owners or financiers of transport vehicles whose possession has been taken under section 51 of the Motor Vehicles Act, 1988.

(v) All owners of transport vehicles or their legal heirs against whom Recovery Certificate have been issued for tax and penalty till the date of this notification, shall also be eligible under this notification.

(vi) The vehicle owner or his legal heir, shall submit the application ***with Rs. 1000.00 as application fee*** to the Assistant Regional Transport Officer (Administration) /Taxation Officer as per the procedure laid down by the Department.

.....2.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(vii) Application shall be submitted within the period of 01 month from the date of this notification. The Transport Commissioner, Uttar Pradesh may extend this period by one month.

(viii) No Applications shall be entertained after the expiry of the period specified in S.No. (vii).

(ix) The notification shall be published on the website of the Transport Department http://uptransport.upsdc.gov.in/en-us/ and as well as in leading newspapers. No separate information regarding this exemption shall be given to the owners individually.

(x) Tax and penalty deposited against any transport vehicle before this notification shall not be refundable.

(xi) The owner can deposit the entire amount of tax payable on the vehicle in 'lump sum' or in 'instalments'.

(xii) If the owner is willing to deposit the entire outstanding amount on lump sum basis, then the vehicle owner shall have to deposit the entire amount within 30 days from the date of the order issued by the competent authority.

(xiii) If the owner is willing to deposit the outstanding tax in instalments, then he may deposit in 03 instalments. First instalment shall be 50 % of total outstanding tax and remaining tax shall be deposited in two equal instalments. The first instalment shall be deposited within 21 days and the second instalment within 28 days and third instalment shall be deposited within 35 days from the date of the order issued by the competent authority.

(xiv) If outstanding tax amount is not deposited within time frame mentioned in S.No. (xii) and S.No. (xiii) the owner shall be liable to pay late fee at the rate of Rs. 50/- per day.

.....3....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(xv) If the vehicle owner does not deposit the entire amount of arrears till the date of completion of this exemption, as per procedure laid down in S.No. (xii) and S.No. (xiii), liability of the outstanding tax and penalty shall be restored to the amount as it was before this exemption was notified. The partial amount of tax deposited under this exemption shall be adjusted in the total outstanding dues and penalty till the date of completion of this exemption.

(xvi) Any vehicle not in existence, the tax shall be deposited till the existence of the vehicle and if it is proved that vehicle is not in existence as procedure mentioned in Rule 22-A of U.P. Motor Vehicle Taxation Rules, 1998 the write off the tax and cancellation of registration of vehicle shall be done as per rules.

(xvii) The applicant/beneficiary shall submit the application to the concerned Assistant Regional Transport Officer (Administration)/ Taxation Officer of the district as per procedure laid down by the Transport Department. The application shall be accepted within the time frame mention in S.No. (vii) of this notification.

(xviii) The concerned Assistant Regional Transport Officer (Administration)/ Taxation Officer, after examining the application on basis of office record, shall submit its report for approval to approving authority.

(xix) The Regional Transport Officer of the region shall be the competent authority to grant exemption of penalty under this notification.

(xx) It shall be mandatory to dispose off the application within 10 days from the date of submission of the application.

By Order,

L. Venkateshwar Lu
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-14/2022/951(1)/तीस-4-2022-30-4099(099)/151/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना आदेश को दिनांक 27 जून, 2022 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-14/2022/951(2)/तीस-4-2022-30-4099(099)/151/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या- 14/2022/951(1)/तीस-4-2022-30-4099(099)/151/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन विभाग को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रश्नगत अधिसूचना आदेश के अनुपालनार्थ तथा इस आशय से भी प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
9- विधायी अनुभाग-1
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in